

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

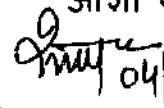
क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 647 /2021 दिनांक 04.03.2021

श्री सुकेश कुमार जैन (RJ0343). विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 30.01.2021 से 06.02.2021 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश ।
2. दिनांक 07.02.2021 से 20.02.2021 तक 14 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 21.02.2021 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री जैन की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, झुंझुनूं ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

04/3/2021
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था बी.2(4)-48/2000/1607

दिनांक 04.03.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं को उनके पत्रांक 03 दिनांक 22.02.2021 के सन्दर्भ में ।
3. श्री सुकेश कुमार जैन (RJ0343). विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम- 2005, झुंझुनूं ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-01, झुंझुनूं ।


सहायक रजिस्ट्रार